

# अति महत्वपूर्ण नियम एवं शर्ते

-0	कर्ता/ग	ारं <b>टीकर्ता</b> और इंडिया शेल्टर फाईनें	स कार्पोरेशन लिमिटेड (	कम्पनी या ISFCL):	
1.	ऋण	का विवरण/			
2.	ऋण	की स्वीकृत राशि	रुपये/रु.		
a)	ब्याज	ंदर <b>स्थिर ब्याज</b>	%		
b)	सरका	री योजना / विनियामक प्रावधान	के तहत दी जाने वाली	कोई भी सब्सिडी / स्थगन इस तरह की योजना के नियमों	
	औरः	शर्तों के अधीन होगी। होगी।इसके उ	अलावा, कंपनी कोई स्थ	गन या सब्सिडी प्रदान नहीं करती है।	
c)	फ्लोति	टेंग ब्याज दर के संदर्भ में, परिवर्तन	नशील संदर्भ दर (VRR	) में संशोधन के साथ, ऋण पर ब्याज की दर को संशोधित /	
	रीसेट	किया जाएगा।			
3.	अगर	ब्याज दर में बदलाव होगा तो आ	पको चिट्ठी / शाखा आं	धेसूचना/ वेबसाइट ईमेल/ मैसेज द्वारा सूचित किया जाएगा	
किस	त की	प्रकार			
				दी हुई ब्याज दर से) प्रीईएम्आई के रूप में देयहोगा।	
ऋण	की चु	कौती और ऋण की अवधि- ऋण	का भुगतान र	पये कीसमान मासिक किश्तों द्वारा होगा.	
		चुकौती और ऋण की अवधि			
			•	ना होगा जो कि हर महीने की 7 तारीख होगी। ईएमआई पूरी	
		_	_	ोगी। इस प्रयोजन के लिए बिलिंग चक्र देय तिथि को समाप्त	
				। देय तिथि ऋण समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार	
		•		एमआई/पीईएमआईआई के भुगतान के लिए सभी लिखत ऋण	
				धारकर्ता के बैंक खाते में प्रस्तुत किए जाएंगे। लागू ब्याज दर	
				कार पर, ईएमआई या ऋण की अवधि या दोनों को संशोधित	
_		<u>-</u>	हा, ता संशाधित इएम	आई के लिए उधारकर्ता द्वारा नया पुनर्भुगतान साधन प्रदान	
	ा जाए ज्या		<del>'</del>		
		की राशिकार्य मे	१ उपयाग का जायगा।		
0.	5	ं <b>तथा अन्य प्रभार</b> आवेदन और दस्तावेज़ीकरण के सन	шэг		
				. तोगाः	
	जापद	न के समय प्रोसेस्सिंग शुल्क देय	हाणा जा का पायस नहा		
		ऋण राशि लागू		शुल्क (रुपये में)	
		15 लाख रुपये तक		3,000/- प्लस जीएसटी	
		रु.15 लाख से अधिक		5,000/- प्लस जीएसटी	
		री-लॉगिन फीस** रु. 15 लाख त	ाक के लिए	1,500/- प्लस जीएसटी	
	री-लॉगिन शुल्क** रु. 15 लाख से अधिक के लिए		से अधिक के लिए	2,500/- प्लस जीएसटी	
		**पुन: लॉगिन शुल्क लागू होता है	ग की समाप्ति या मामले की अस्वीकृति या मामले को रद्व		
	करने के 3 महीने के भीतर फिर से लॉग-इन किया जाता है; बाकी परिदृश्यों में पूर्ण लॉगिन शुल्क लागू होता है।				
		आवेदक द्वारा लोन के लिए सहम जैसा	ति देने पर, स्वीकृत लो	न की राशी के अनुसार बचा हुआ प्रोसेस्सिंग शुल्क देय होगा	
		ऋण का प्रकार	प्रसंस्करण शुल्क (प्रारं	भिक प्रसंस्करण शुल्क के अतिरिक्त))	
सभी		ऋण का प्रकार i के हस्ताक्षर	प्रसंस्करण शुल्क (प्रारं	भिक प्रसंस्करण शुल्क के अतिरिक्त))	



आवास ऋण	स्वीकृत ऋण राशि के 3% तक आवास ऋण के साथ जीएसटी
गैर-आवास ऋण	स्वीकृत ऋण राशि के 4% तक गैर-आवास ऋण और जीएसटी
किसी सरकारी योजना के तहत	संबंधित सरकारी योजना सरकार के अनुसार उपरोक्त जीएसटी सीलिंग
पात्र ऋण	के अधीन
खोज शुल्क*	1500/- प्लस जीएसटी
सीईआरएसएआई और अन्य सेवा	600/- प्लस जीएसटी
शुल्क	

नोट: कृपया चार्ज किए गए प्रोसेसिंग शुल्क की सटीक राशि के लिए स्वीकृति पत्र देखें।

- \*\* जयपुर शहर के लिए खोज शुल्क 2000 रुपये प्लस जीएसटी और छत्तीसगढ़ और दिल्ली एनसीआर के लिए 2500 रुपये प्लस जीएसटी होगा।
- (iii) आवेदक द्वारा लोन के लिए सहमित दिए जाने के बाद अगर आवेदक लोन लेने से मना कर देता है या लोन निरस्त कर देता है तो आवेदक द्वारा दिया हुआ लोन प्रोसेस्सिंग शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, रु.10,000/ एवम जीएसटी का रद्दीकरण शुल्क लिया जाएगा।
- (iv) अन्य सभी शुल्क जैसे स्टाम्पपेपर, नोटरी, कानूनी खोज रिपोर्ट की लागत आदि के साथ जीएसटी, उधारकर्ताओं द्वारा वहन किया जाएगा।
- (v) महाराष्ट्र राज्य में सुरक्षा सृजन के लिए 1,000 रुपये प्लस जीएसटी का अतिरिक्त स्रक्षा सृजन श्ल्क।
- a) ऋण की अवधि के दौरान और उसके बाद श्ल्क।
  - (i) बाद के संवितरण के लिए तकनीकी शुल्क पहली किस्त के संवितरण के बाद, प्रत्येक अगले संवितरण के समय, उधारकर्ता को प्रत्येक तकनीकी यात्रा के लिए 20 लाख रुपये तक की स्वीकृति राशि के लिए 600 रुपये प्लस जीएसटी और 20 लाख रुपये से अधिक की स्वीकृति राशि के लिए 750 रुपये प्लस जीएसटी का शुल्क वहन करना होगा, जिसे बाद की संवितरण राशि से घटा दिया जाएगा।
  - (ii) फ्लोटिंग से फिक्स्ड इंटरेस्ट या इसके विपरीत या ऋण का पुन र्मूल्यांकन के लिए रूपांतरण शुल्क ग्राहक के अनुरोध के आधार पर, कंपनी की आंतरिक नीतियों के विवेक पर, रु। 5000/-के भुगतान पर या ऋण बकाया पर 0.5% जो भी अधिक हो एवम जीएसटी।
  - (iii) कानुनी शुल्क (एवम जीएसटी)

सभी आवेदकों के हस्ताक्षर

13 (2) सूचना	रु. 1500/- प्रति सूचना
13 (4) सूचना	रु. 2500/- प्रति सूचना
कब्जे की सूचना	रु. 2500/- प्रति सूचना
नीलामी सूचना	रु. 2500/- प्रति सूचना
अन्य कानूनी लागत	वास्तविक के अनुसार

(iv) किश्त बाउंस होने पर उसे वसूल करने के लिए उससे जुड़े प्रभार :

चेक अस्वीकृती प्रभार / एनएसीएच/ ईसीएस बाउंस	कैशलेन देन प्रभार		
शुल्क			
700 रुपये चेक / यंत्र के प्रति अनादर	300 रुपये (जीएसटी सहित) प्रति घटना		

- (v) विलंबित किश्त भुगतान प्रभार 36% प्रतिवर्ष की दर से जुर्माना शुल्क अतिदेय ईएमआई / किस्त राशि पर लगाया जाएगा
- (vi) ISFCL द्वारा बकाया ऋण राशि की वसूली के लिए किए गए कोई अन्य कानूनी शुल्क एवम जीएसटी उधारकर्ता से वसूल किए जाएंगे।

1	2	3	4	5	6



- (vii) (vii) धनादेशाचे प्नर्म्द्रण किंवा कर्ज वितरण साधनामध्ये बदल रु. 1,000/- प्रति साधन/इंस्टन्स अधिक GST.
- (viii) (viii) कर्ज बंद झाल्यानंतर ३० दिवसांनी मालमत्ता व्यवस्थापन रु. 500/- दरमहा अधिक GST.
- (ix) (ix) कर्ज खाते बंद करण्याची फी रु. 100/- पर्यंत
- (x) अन्य श्ल्क:

ऋण चक्र के दौरान	
बकाया पूछताछ	रु. 500/- प्लस जीएसटी
खाता विवरण	रु. 500/- प्लस जीएसटी
खाता विवरण	रु. 500/- प्लस जीएसटी
ऋण चक्र के दौरान दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति शुल्क	रु. 750/- प्लस जीएसटी
सीएलडी (दस्तावेज़ की ग्राहक सूची)	रु. 500/- प्लस जीएसटी
संवितरण चेक पुनः प्रिंट करने का अनुरोध	रु. 1000/- प्लस जीएसटी
समाप्त चेक पुनः प्रसंस्करण शुल्क	रु. 2500/- प्लस जीएसटी
ब्याज दर स्विच चार्ज	बकाया ऋण का 4% तक
ऋण बंद करने के समय	
दस्तावेज़ भंडारण और हैंडलिंग शुल्क	रु. 1000/- प्लस जीएसटी
ऋण बंद होने के 30 दिनों के बाद संपत्ति के कागजात का प्रबंधन	रु. 500/- प्रति माह प्लस जीएसटी
ऋण खाता बंद करने का शुल्क	100/- रुपये तक प्लस जीएसटी

<sup>\*</sup>ऋण की स्वीकृति के बाद, यदि किसी कारण से ग्राहक द्वारा ऋण रद्द किया जाता है या नहीं लिया जाता है, तो ऋण रद्दीकरण शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा, कोई प्रसंस्करण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

## ऋण में समय पूर्व भुगतान करने पर प्रभार:

ब्याज प्रकार /	प्रीपेड या प्री-क्लोज्ड	शुल्क (कृपया नीचे दिए गए नोट देखें)
उद्देश्य		
परिवर्तनीय दर	आवास ऋण/ गैर- आवास ऋण व्यक्तिगत	कोई शुल्क नहीं।
	उधारकर्ताओं के लिए जब तक कि अंतिम	
	उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए न हो।	
निर्धारित दर	उधारकर्ता के अपने स्रोतों के माध्यम से आवास	कोई शुल्क नहीं।
	ऋण प्रीपेड।	
निर्धारित दर	हाउसिंग लोन किसी अन्य उद्देश्य से अन्य	(a) ऋण की अंतिम किस्त के वितरण के 24
	स्रोतों के माध्यम से प्रीपेड या गैर-हाउसिंग लोन।	महीनों के भीतर।भुगतान की गई ऋण
		राशि पर 6% एवम जीएसटी.
		(b) ऋण की अंतिम किस्त के वितरण के 24
		महीने बाद। भुगतान की गई ऋण राशि
		पर 4.5% एवम जीएसटी.
परिवर्तनीय दर	सभी प्रकार के ऋणों के लिए जहां अंतिम	(a) ऋण की अंतिम किस्त के वितरण के 24
	उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए है या जहां	महीनों के भीतर।भुगतान की गई ऋण
	उधारकर्ता व्यक्ति नहीं है।	राशि पर 6% एवम जीएसटी.

सभी आवेदकों के हस्ता	क्षर				
1.	2.	3.	4.	5.	6.



		(b) ऋण की अंतिम किस्त के वितरण के 24
		महीने बाद। भुगतान की गई ऋण राशि
		पर 4.5% एवम जीएसटी.
	Note:	
	i.    इस प्रयोजन के लिए स्वयं के स्रोतों का अर्थ बैंक / एचए	फसी / एनबीएफसी और / या एक वित्तीय संस्थान से
	उधार लेने के अलावा किसी अन्य म्रोत से है।	
	ii. वितीय वर्ष की शुरुआत में (संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल को)	बकाया ऋण राशि के 15% तक की राशि के आंशिक
	भुगतान पर कोई शुल्क नहीं।	
_		
	ास और शुल्कों को कंपनी द्वारा अपने विवेकाधिकार पर संशोधि 	•
	तहत कंपनी की वेबसाइट / शाखाओं पर प्रकाशित किया ज	
	ास/शुल्क और अधिक विवरणों के लिए कंपनी की वेबसाइट पर	ए प्रकाशित प्रभार की अनुसूची का उल्लेख करें।
	ण के लिये प्रतिभूति	
	ण के लिए प्रतिभूति के रूप में आपकी सम्पति, जिसका पता	हैं:
	ता पंक्ति 1 :	
	ता पंक्ति 2 :	
	ता पंक्ति 3 :	
Ч.	ता पंक्ति 4 :	
	। पूर्ण भुगतान होने तक बंधक रखी जायेगी तथा इस संपत्ति से	ो जुड़े सभी दस्तावेज मूल / फोटोप्रति (कम्पनी की जरूरत
नुसार	), प्रतिभूति के रूप में जमा करने होंगे	
Ч.	ता पंक्ति 1 :	
प	ता पंक्ति 2 :	
प	ता पंक्ति 3 :	
Ч.	ता पंक्ति 4 :	
_	इस ऋण के गारंटी दाता हैं	
ोई अं	र सुरक्षा निति जिसका उल्लेख स्वीकृति पत्र में किया गया है	
ı	बीमा	
ाप अ	पने विवेकाधिकार पर निम्नलिखित बीमा कवर का लाभ उठा	सकते हैं जिसका प्रीमियम, आपके द्वारा अनुरोध पर, कंप
वारा 1	देया जा सकता है।	
(i)	क्रेडिट जीवन बीमा	
(ii)	दुर्घटना बीमा	
(iii	) संपत्ति का बीमा	
पनी	द्वारा बीमा की सुविधा लेना कंपल्सरी नहीं है और इसे किसी	भी बीमा कंपनियों से लिया जा सकता है
मा वि	वेवरण बीमा संबंधित दस्तावेजों में विस्तार से दिए गए हैं।	
क्रे	डिट बीमा आपकी संपूर्ण ऋण राशि को कवर करता है और वे	haल एक बार देय होता है और प्राकृतिक और दुर्घटना मृ
दो	नों को कवर करता है	
दु	र्घटना बीमा स्वीकृत ऋण राशि के बराबर प्रति बीमित के लिए	और पांच साल के लिए है
सं	पति बीमा घर के मूल्य पर लिया जाएगा और ऋण की अवधि	तक वैध है
बी	मा दावे के समय, इंडिया शेल्टर के शेष बकाया राशि काट ली	जाएगी और जो भी अतिरिक्त राशि शेष है, उसका भुगत
	मांकित / उधारकर्ताओं को किया जाएगा	-
न	•	



कंपनी ऋणदाताओं को तब तक कोई ऋण नहीं देगी जब तक कि कंपनी के संतोष और एकमात्र विवेक के लिए स्वीकृति पत्र और ऋण समझौतों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है। प्रमुख शर्तें निम्न हैं:

- (a) अन्मोदन पत्र / ऋण समझौते में ISFCL द्वारा उल्लिखित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्त्त करना।
- (b) उधारकर्ता के पक्ष में संपत्ति का स्पष्ट बिक्री योग्य शीर्षक।
- (c) उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले सभी स्रक्षा दस्तावेज।
- (d) एक वैध बंधक (न्यायसंगत या पंजीकृत अगर समान बंधक संभव नहीं है) को लागू कानूनों के अनुसार ISFCL के पक्ष में बनाया जाना चाहिए।
- (e) यदि निर्माण के लिए ऋण लिया गया है, तो उसे चरणों में वितरित किया जाएगा।
- (f) उधारकर्ता द्वारा स्वयं के योगदान का भुगतान जैसा कि स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट है।
- (g) ऋण का पर्याप्त उपयोग प्रमाण प्रदान करना।
- (h) संपत्ति का निर्माण स्वीकृत योजनाओं / उपनियमों के अनुसार लागू होना चाहिए।

### 9. बकाया किश्तों की वस्ली प्रक्रिया का संक्षिपत उल्लेख

- यदि किसी कारण वश आपकी किश्त बाउंस हो जाती है तो उसके भुगतान के लिए आपके पास कॉल और मेसेज आएगा | आपको वह राशि चेक/NACH/ECS बाउंस चार्ज के साथ इंडिया शेल्टर की शाखा में जमा करवानी होगी |
- कंपनी का वसूली अधिकारी आपसे ऋण भुगतान राशि लेने की लिए आपके घर / काम करने की जगह / आपके मुताबिक कोई और जगह पे मिलने आ सकता है |
- अगर इसके बाद भी आपने उचित समय सीमा के अंदर किश्त की राशि जमा नहीं करवाई तो आप पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही हो सकती है।
- 10. अगर ऋण एनपीए में जाता है तो आपके खिलाफ SARFAESI कार्यवाही श्रू की जाएगी।
- 11. अप्रैल-जून के दौरान अन्रोध पर वार्षिक बकाया विवरण प्राप्त किया जा सकता है
- 12. उपभोगता (ग्राहक) सेवाएं /
- कार्यालय में मिलने का समय- 10.00 a.m. 6.00 p.m.
- आप ब्रांच में ऋण सम्बंधी किसी भी तरह की सहायता के लिए ब्रांच के कस्टमर सर्विस ऑफिसर से बात कर सकते हैं
- ऋण की अवधि के दौरान, आप उचित शुल्क का भुगतान करने के बाद शाखा में ग्राहक सेवा अधिकारी से ऋण खाता विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
- स्वामित्व दस्तावेजों की प्रतिलिपि के लिए आपको ब्रांच में लिखित में पत्र देना होगा, तत्पश्चात उन दस्तावेजों की प्रतिलिपि आपको ब्रांच से 7 कार्य दिवस में मिल जायेगी |
- आप अपने लोन खाता बंद होने के बाद अपने मूल संपत्ति दस्तावेज़ वापस ले जा सकते हैं; जब आपकी पूरी लोन राशि समेत सभी बकाया राशि कंपनी के बैंक खाते में प्राप्त हो जाये, उसके 30 कार्य दिवसों के भीतर आप अपनी होम ब्रांच से या कंपनी के साथ लिखित रूपमें प्रस्तुत आपके अनुरोध के अनुसार कोई भी निकटतम शाखा से प्राप्त कर सकते है|

#### 13. शिकायत निवारण की प्रकिया

आप निम्नलिखित तंत्र के माध्यम से किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव दर्ज कर सकते हैं (कंपनी की एजेंसियों / प्रतिनिधि दवारा प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित के लिए भी)।

#### स्तर 1 - शाखा/टोल-फ्री नंबर/ई-मेल/व्हाट्सएप/वेबसाइट/पोर्टल

शिकायतकर्ता अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए शाखा पर जा सकते हैं या 1800-572-8888 पर कॉल कर सकते हैं। शिकायत को <u>customer.care@indiashelter.in</u> पर भी ई-मेल किया जा सकता है। ग्राहक हमारी वेबसाइट <u>www.indiashelter.in</u> पर भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

भा आवदका के हस्ताक्षर					
1	2	3	_ 4	_5	6



#### स्तर 2 - शाखा प्रमुख/कॉल सेंटर प्रबंधक

शाखा प्रमुख से शाखा में ही संपर्क किया जा सकता है। कॉल सेंटर मैनेजर से कॉल सेंटर नंबर पर बात कर सकते हैं ।

### स्तर 3 - मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी

यदि आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो आप <u>cgro@indiashelter.in</u> के माध्यम से मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी को लिख सकते हैं, या, आप उनको नीचे दिए गए पते पर भी लिख सकते हैं:

 मुख्य शिकायत निवारण अधिकारी, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड ६ मंजिल, प्लॉट नंबर १५, सेक्टर ४४, गुड़गांव, हरियाणा - १२२००२ |

ग्राहकों से अनुरोध है कि शिकायत निवारण के लिए उपरोक्त शिकायत निवारण तंत्र का अनुसरण करें। हर स्तर पर, कंपनी अधिकतम 72 घंटों के भीतर ग्राहक को पावती / प्रारंभिक टिप्पणी प्रदान करेगी और अंतिम प्रतिक्रिया टर्न अराउंड टाइम ("TAT") के भीतर प्रदान की जाएगी जिसे कंपनी प्रतिबद्ध करेगी।

यदि अधिक समय की आवश्यकता होती है, तो अंतरिम में, कंपनी ऐसे ग्राहक को अपेक्षित समयरेखा बताएगी। यदि ग्राहक एक स्तर पर कंपनी द्वारा प्रदान किए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है या ग्राहक को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो वह अगले स्तर पर आगे बढ़ सकता है।

यदि शिकायतकर्ता को एक महीने की अविध के भीतर कंपनी से प्रतिक्रिया नहीं मिलती है या प्राप्त प्रतिक्रिया से असंतुष्ट है, तो शिकायतकर्ता राष्ट्रीय आवास बैंक से एनएचबी की पोर्टल <a href="https://grids.nhbonline.org.in">https://grids.nhbonline.org.in</a> पर अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकता है या डाक के माध्यम से भेज सकता हैं 'शिकायत निवारण विभाग, राष्ट्रीय आवास बैंक, चौथी मंजिल, कोर 5ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003।

एतद्द्वारा यह सहमती हुई की ऋण के विस्तृत र्ा	नियमों एवं शर्तो के लिये, उल्लिखित पक्षों को उनके द्वारा निष्पादित / निष्पादित
किये जाने वाले ऋण तथा अन्य प्रतिभूति दस्तावे	
उपर्युक्त नियमों एवं शर्तो को ऋणकर्ता (ओ) ने	पढ़ लिया है / कंपनी के श्री / श्रीमती / क्0
द्वारा ऋणकर्ता को पढ़कर सुना दिया गया और	उन्हें ऋणकर्ता (ओं) द्वारा समझ लिया गया है
भावेदकों के इस्ताक्षर या भंगठा निशान /	
••	•
आवेदकर	आवेदकर
आवेदक३	आवेदक४
(गाउंटर के दस्ताभर)	
आवेदकों के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान / आवेदक१	आवेदक२